

प्रेषक,

श्रम आयुक्त, हरियाणा,  
चंडीगढ़।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय अधिकारी,  
हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।

क्रमांक: लेखा/2025/3584-690


दिनांक: 11/02/25

**विषय:- अनुपयोगी वाहन को कंडम घोषित करवाने बारे।**

उपरोक्त विषय के संबंध में।

2. विषयोक्त मामलें में आपको सूचित किया जाता है कि कार्यालय के ध्यान में आया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों को सरकारी वाहन अलॉट किये हुए हैं, उनमें से कुछ वाहन चलने की हालात में नहीं है, जिनको राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायत दिनांक 10.07.2001 व एन.जी.टी. की हिदायत अनुसार कंडम करवाया जाना है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित विभाग द्वारा जारी हिदायत दिनांक 10.07.2001 व एन.जी.टी. की हिदायत को ध्यान में रखकर उपरोक्त वाहन को कंडम करवाकर यथाशीघ्र इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें, ताकि मामलें में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

  
उप अधीक्षक,

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।